न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 160 / 2022 प्रार्थना पत्र　　　　　　　　　　　　दायर दिनांक 23.12.2022

उनवान

1. बालु पिता परथु जाति भील आयु व्यस्क निवासी कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।

——अप्रार्थी

– : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट0 : –

निर्णय दिनांकः 04.01.2023

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल खाता सं0 96 आराजी न0 258 रकबा 0.24 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 258 पर आने–जाने, खाली भरी बैलगाडी लाने–ले–जाने, फसल लानें ले जानें, ट्रैक्टर एवं मवेशी लानें ले जाने हेतु ग्राम केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी के हल्के बैरूनी में स्थित आराजी नम्बर 249 रकबा 0.30 है0 किस्म रास्ता बिलानाम सरकार से प्रार्थी की उत्तरी दिशा की मेड से लगा हुआ है। जिसकी वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार चौडाई लगभग 4 मीटर है। जिसका प्रयोग मुझ प्रार्थी द्वारा कई वर्षो से किया जा रहा है।

यह है कि मुझ प्रार्थी को अपनी निजी खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु रिकार्ड दर्ज रास्ता आराजी नम्बर 249 रकबा 0.30 हैक्टेयर बिलानाम सरकार की दक्षिण दिशा में एवं मेरी खातेदारी भूमि की उत्तर दिशा में आराजी नम्बर 254 रकबा 0.10 है0 में पूर्व दिशा में मेरी खातेदारी भूमि से लगी हुई रास्ते के साथ 20 फीट चौडाई में रास्ते की आवश्यकता है। जो मुझ प्रार्थी द्वारा खातेदारी आराजी नम्बर 258 से लगे रास्ते के पास दक्षिण से पश्चिम दिशा में चाहिए।

यह कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी संख्या 258 तक पहुंच हेतु 30 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है। जिसमें से वर्तमान राजस्व रे[illegible] मीटर चौड़ाई में रास्ता उपलब्ध है। अतः 6 मीटर (20 फीट) चौड़ाई में रास्ते की और आ[illegible]कता [illegible] जिससे की प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर बिना किसी अवरोध के आसानी से [illegible]

प्रार्थी ने अन्त में प्रार्थना की कि– प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा[illegible]कर ग्राम केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी की बिलानाम आराजी [illegible]या 254 रकबा 0.10 है0 [illegible] पड़त 2 में से 6 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिलाये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी बिलानाम आराजी में आने–जाने के रास्ते के लिए क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार जमा करवाने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:54 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कपासन से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।

2. प्रकरण में प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता संकरा होने से पास की बिलानाम आराजी से रास्ते को चौडा किये जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार कपासन द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता चौडा किया जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी पर जाने हेतु आ0 नं0 249 प्रार्थी की आराजी से लगी हुई है जहां प्रवेश हेतु रास्ते की चौडाई 4 मी0 है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में प्रवेश हेतु 30 फीट चौडाई में रास्ता चाहा गया है। जिसके लिये 6 मी0 चौडाई में रास्ता ओर चाहा है। रिकार्ड संलग्न है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा बिलानाम आ0 नं0 254 में से 6 मी0 चौडाई में रास्ता चाहा गया है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

अप्रार्थी राजस्थान सरकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

— पर्चा मौका दिनांक 02.01.2023 संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:54 IST
Reason: SelfAttested

5. सहमति नहीं होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते की चौडाई 6 मीटर से कुल क्षैत्रफल 0.0010 है0 होता है। वर्तमान डी0एल0सी0 दर असिंचित दर 1807313 प्रति0 है0 से रकबा 0. 0010 है0 की मालियत 1810 रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 3620 रूपये होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 258 है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने, हेतु प्रार्थी की आ0 स0 258 के उत्तर दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0स0 254 में से होकर रास्ता चौडा करना चाह रहा है। रास्ता चौडा किये जाने में तहसीलदार कपासन द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम पड़त 2 दर्ज है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से 30 फीट तक रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 258 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 254 की पूर्वी दिशा कोने से है। जिसका रकबा 0.0010 है0 है का जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 संलग्न है का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 1807313 रूपये प्रति हैक्ट0 के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0010 हैक्ट की कुल मालियत 1810 रूपये का दुगुना 3620 रूपये अक्षरे तीन हजार छः सौ बीस रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवायी जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार कपासन को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन